न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 54 / 2019

1 राजपाल पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मदनलाल पुत्र नारायणलाल।
2 धर्मेन्द्र पुत्र मदनलाल।
3 सुरेन्द्र पुत्र मदनलाल समस्त जाति जाट निवासीगण श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकरं
4 तहसीलदार भूधारक धोदं
5 हल्का पटवारी पटवार हल्का श्यामपुरा।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर दिनांकित 05.07.2019 प्रार्थना पत्र संख्या 08 / 2019 उनवानी राजपाल बनाम मदनलाल आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री ताराचन्द यादव, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 05.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने आवेदन धारा 212 प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 73,312,313 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना केवल मात्र हाल के राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलांट का आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। पक्षकारों के हक अधिकार का निर्णय मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त किया जाना शेष है। इससे पूर्व रेस्पोडेंट विवादित भूमि को वेस्ट डेमेज नही करें एवं पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये अपील स्वीकार कर ताफैसला वाद स्थगन जारी किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी संवत 2057 से 2060 में खसरा नम्बर 73,312,313 कुल रकबा 8.34 हैक्टेयर की खातेदारी मदनलाल पुत्र नारायण मु. सोनी बेवा नारायण सम्भाग जाति जाट सा. दे हके नाम से दर्ज है। जमाबंदी संवत 2053 से 56 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी नारायण पुत्र बिड़दा सा.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

देह के नाम से दर्ज थी। इसी जमाबंदी ने जरिये नामान्तकरण सं 176 दिनांक 07.09.1998 से जरिये विरासत खातेदारी मदनलाल पुत्र नारायण व मु. सोनी बेवा नारायण समभाग दर्ज है। जमाबंदी संवत 2073 से 76 में उक्त खसरा नम्बर में नोट अंकित है कि नामान्तकरण संख्या 1145 दिनांक 05.07.2017 समोचन से सोनी हिस्सा 1/2 के स्थान पर मदनलाल पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 के नाम स्वीकार हुआ। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि भूमि पूर्व नारायण जो कि अप्रार्थी संख्या 01 का पिता था के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो उसकी मृत्यु के पश्चात जरिये विरासत अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी माता सोनी को 1/2–1/2 प्राप्त हुई। सोनी के द्वारा अपना हिस्सा अपने पुत्र मदनलाल के नाम से जरिये रजिस्टर्ड समोचन करवा दिया था। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि का खातेदार मदनलाल पुत्र नारायण है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां विरासत से प्राप्त हुई सम्पदा है। जो कि सोनी देवी व मदनलाल को बराबर–बराबर प्राप्त हुई है। सोनी देवी द्वारा अपना हिस्सा मदनलाल को समोचन कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 मदनलाल की 1/2 हिस्से की भूमि विरासत से प्राप्त हुई तथा 1/2 हिस्से की भूमि जो माता से प्राप्त हुई स्वअर्जित भूमि मानी जावेगी। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि पैतृक होना प्रथम दृष्टया साबित नही है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दुवार विवेचन कर अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की हे। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी संवत 2057 से 2060 में खसरा नम्बर 73,312,313 कुल रकबा 8.34 हैक्टेयर की खातेदारी मदनलाल पुत्र नारायण मु. सोनी बेवा नारायण सम्भाग जाति जाट सा. दे हके नाम से दर्ज है। जमाबंदी संवत 2053 से 56 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी नारायण पुत्र बिड़दा सा. देह के नाम से दर्ज थी। इसी जमाबंदी ने जरिये नामान्तकरण सं 176 दिनांक 07.09.1998 से जरिये विरासत खातेदारी मदनलाल पुत्र नारायण व मु. सोनी बेवा नारायण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समभाग दर्ज है। जमाबंदी संवत 2073 से 76 में उक्त खसरा नम्बर में नोट अंकित है कि नामान्तकरण संख्या 1145 दिनांक 05.07.2017 समोचन से सोनी हिस्सा 1/2 के स्थान पर मदनलाल पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 के नाम स्वीकार हुआ। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि भूमि पूर्व नारायण जो कि अप्रार्थी संख्या 01 का पिता था के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो उसकी मृत्यु के पश्चात जरिये विरासत अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी माता सोनी को 1/2–1/2 प्राप्त हुई। सोनी के द्वारा अपना हिस्सा अपने पुत्र मदनलाल के नाम से जरिये रजिस्टर्ड समोचन करवा दिया था। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि का खातेदार मदनलाल पुत्र नारायण है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां विरासत से प्राप्त हुई सम्पदा है। जो कि सोनी देवी व मदनलाल को बराबर–बराबर प्राप्त हुई है। सोनी देवी द्वारा अपना हिस्सा मदनलाल को समोचन कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 मदनलाल की 1/2 हिस्से की भूमि विरासत से प्राप्त हुई तथा 1/2 हिस्से की भूमि जो माता से प्राप्त हुई स्वअर्जित भूमि मानी जावेगी। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि पैतृक होना प्रथम दृष्टया साबित नही है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दुवार विवेचन कर अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की हे। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर